दिनांक 16.10.2024 "स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई"

निर्वाचन नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन वार्ड 24, 35 के नागरिको के लिए

भिलाईनगर। छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के अनुसार नगर पालिक निगम भिलाई की वार्ड 24 एवं 35 का निर्वाचन नियमावली तैयार है। जो आम लोगो के निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। निर्वाचन नामावली 1 जनवरी 2024 के आधार पर तैयार की गई है। कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त अर्हकारी तारीक्ष के संबंध में निर्वाचक नामावली में किसी नाम को सम्मिलित किये जाने या किसी प्रविष्टी को संशोधित करने के लिए दावा करना चाहे या किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित किये जाने के संबंध में आपत्ति करना चाहे, वह इस सबंध में अपना दावा या आपत्ति निर्धारित प्रारूप (फार्म) में तारीख 16.10.2024 से कार्यालय समय के दौरान कभी भी परन्तु तारीख 23.10.2024 को जो कि दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख है अपरान्ह 3:00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है। समय के उपरांत प्रस्तुत किये गये दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में वार्ड क्रं. 24 हाउसिंग बोर्ड एवं वार्ड क्रं. 35 शारदा पारा में उपचुनाव होना है। जिसके लिए वार्ड वासियो के सुविधा के लिए निर्वाचन नामावली वार्ड मतदाताओ को निःशुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगा। जिसको मतदाता कार्यालयीन अवधि में वार्ड क्र. 24 हाउसिंग बोर्ड शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं वार्ड क्रं. 35 शारदा पारा केन्प–02 जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जाकर निरीक्षण कर आपत्ति दर्ज करा सकते है। मतदाता मुख्य कार्यालय के जनगणना शाखा के कक्ष क्रमांक 53 में कार्यालयीन अवधि में आकर मतदाता सूची का अवलोकन भी कर सकते है।